3h

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

Minutes of the 69th meeting of the Traffic Control Board held on 12.03.2012

The 69th Traffic Control Board meeting was held under the chairmanship of Jaipur Development Commissioner on 12 th March , 2012 in 'Manthan' Hall of JDA.

List of Officers attended the meeting is as per Annexure 'A'.

S.N	Agenda Item	Issues (Decision taken in earlier meeting)	Decision Taken	Action to be taken by
1	Compliance report of decision in 68th meeting for B-2 Bye Pass.	(1) Improvement of road portion from Tonk road to Shipra Path constructing service road and improvement of slip lane by JDA which would required at least 3 months. In compliance , Dir (Project) apprised that road improvement work is in progress and will be completed by 25.01.12.	In compliance , Director (Engg-I) apprised that road improvement work has been completed.	--
		(2) Improvement work of Dwarka Das Path which Includes widening of road, strengthening & Construction of service road, slip lane and street light work by Jaipur Nagar Nigam Which would require at least 3 months for completion. CEO, NNJ apprised that tender for the work have been called and work will be started on 22.11.11 Board directed CEO, NNJ to look it personally and get all the required works done with in the time before 28.01.12.	Due to scarcity of funds work could not be taken up earlier. Now sanction has been received from the Govt. work will be taken up within a week.	NNJ
		(3) The Row on Dwarka Das Path Should be cleared Jointly by Rajasthan Housing Board and Jaipur Nagar Nigam. It was informed that RHB has started removing compound wall of RHB office falling in the ROW. Board observed that RHB should expedite it and complete it within time before 28.01.12.	RHB official apprised the board that boundary wall has been shifted.	-
		(4) Formal permission for cutting nearly 300 tree should be taken from Collector, Jaipur. Orders to grant approval of tree cutting is built-in the Hon'ble High court order. Board directed NNJ to expedite seeking approval from Collector Jaipur.	Board directed to expedite.	NNJ
		(5) JVVNL Should shift or remove the electric lines	JVVNL official apprised that	

3.3

	which are on existing median in consultation with Jaipur Nagar Nigam. JVVNL official apprised the board that they have started their work. Looking to the slow progress, board directed to expedite the work and complete required work within time by 28.01.12	work has been completed.	
	(6) A Separate proposal for widening of underpass should be sent to Railway. However based on past experience it is expected that this work required at east one & halft year of construction period. Dir (Project) apprised that project is under preparation. Board directed that matter be expedited and proposal be sent to Railways.	Director (Engg-I) apprised that proposal has been sent to Railway.	--
	(7) As Majority of above works would require at least three months time, it may be appraised to Hon'ble High Court accordingly on next date of hearing. The work of Railway underpass can be taken up with a longer horizon of one & half year period. However, heavy traffic can be allowed on above stretch of B-2 byepass after taking other measures as mentioned above that is even before completion of Railway under pass. Board directed all concerned deptt. to expedite issues related with their deptt and ensure its completion within time by 28.01.12.	Work pertaining to JDA has been completed. Board directed that remaining work be expedite.	CEO, NNJ, JVVNL, RHB
	(1.1) Plying of buses on Gopalpura Bye Pass after opening of B2 Bye Pass. After studying Hon'ble High Court order and after discussions the board authorized secretary JDA & DCP (Traffic) to decide on plying of Roadways Buses of RSRTC and city buses of JCTSL and private mini buses.	It was apprise to the board that compliance as been done.	DCP (Traffic)

2		68.3 Issuing of Auto Permit to Minorities Youth. Addl. Commissioner (Transport) apprised committee that they have a provision of 12000 permit only, which are already given. Raising bar calls for up gradation of several infrastructure facilities. After discussion the board formed a committee of RTO, Addl Commissioner (Transport), DCP (Traffic) to examine and submit recommendation in 45 days	Board directed that committee may expedite the progress.	RTO, Addl Commissioner (Transport), DCP (Traffic)
3.		68.4 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये याचिका संख्या 1118/2011 के आदेश पर क्रियान्विति के सम्बन्ध मे ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा जयपुर आटो चालक यूनियन के पदाधिकारियों को मीटिंग मे बुलाया गया एवं सुना गया तथा उनके द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर बिन्दुवार विचार विमर्श किया गया।		
		बिन्दु संख्या 1 :– आटो रिक्शाओ की संख्या को देखते हुये स्टेण्ड हेतु स्थान उपलब्ध कराये जाने बाबत्। After discussion, the Board formed a committee of RTO, Secretary JDA, CEO NNJ Addl. Comm. (Transport), DCP (Traffic) ACTP (MP) JDA to examine and submit recommendation in 45 days.	Board directed that committee may expedite the progress.	RTO, Secretary JDA, CEO NNJ Addl. Comm. (Transport), DCP (Traffic) ACTP (MP) JDA
		बिन्दु संख्या 2:– प्री पेड संचालन हेतु संचालन समिति के गठन के सम्बन्ध मे। After discussion, the Board formed a committee of RTO, Secretary JDA, Addl. Comm. (Transport), DCP (Traffic) & representative of union members to examine and submit recommendation in 45 days.	Board directed that committee may expedite the progress.	RTO, Secretary JDA, Addl Comm. (Transport) DCP (Traffic) & representative of union members.
		बिन्दु संख्या 3 :– ऑटो रिक्शा को धारा 86 के अन्तर्गत बन्द किये जाने बाबत्। After discussion, the Board directed DCP (Traffic) to examine and do needful and submit report to TCB in 15 Days.	Board directed that DCP (Traffic) Committee may expedite the progress.	DCP (Traffic)
		बिन्दु संख्या 4 :– 12000 से अधिक परमिट को निरस्त करने, पुराने परमिट का नवीनीकरण आदि के सम्बन्ध मे। Addl. Commissioner (Transport) apprised committee that they have a provision of 12000 permit only which are already given. After discussion Board directed Addl. Comm. (Transport) to	Board directed that Addl Commissioner (Transport) may expedite the progress.	Addl. Comm. (Transport)

		examine the actual position of permits issued as per the Govt. orders & if found in excess accordingly excess permit be cancelled. Report be submitted in 15 days. बिन्दु संख्या 5 :– रजिस्ट्रेशन, परमिट, फीटनेस, टेक्स, चालान आदि का कार्य परिवहन कार्यालय झालाना मे ही करवाये जाने के सम्बन्ध मे। Board directed Addl. Comm. (Transport) to examine it & put up report in 7 days.	Board directed that Addl. Commissioner (Transport) may expedite the progress.	Addl. Comm. (Transport)
		बिन्दु संख्या 6:– जुर्माना राशि को कम किये जाने के सम्बन्ध मे। Board directed Addl. Comm. (Transport) to examine it & put up report in 15 days.	Board directed that Addl. Commissioner (Transport) may expedite the progress.	Addl. Comm. (Transport)
		बिन्दु संख्या 7 :– चालक की 8वी पास की अनिवार्यता के सम्बन्ध मे पूर्व की भॉति बिना शर्त , कॉमर्सशियल लाईसेंस, बनाये जाने बाबत्। Board directed Addl. Comm. (Transport) to examine it & put up report in 15 days.	Board directed that Addl. Commissioner (Transport) may expedite the progress.	Addl. Comm. (Transport)
		बिन्दु संख्या 8 :– ऑटो चालकों का प्वाईन्ट से प्वाईन्ट चलाये जाने की मंजूरी के सम्बन्ध मे। Board directed Addl. Comm. (Transport) . RTO & DCP (Traffic) to examine it & put up report in 15 days.	Board directed that committee may expedite the progress	Addl. Comm. (Transport) , RTO & DCP (Traffic)
4		68.5 Issues related with improvement of traffic in Jaipur City.	The agenda was deferred.	-
5		68.6 Formation of Steering committee for implementation of TCB discussion. After discussions, a steering committee of DCP (Traffic), Dir (Engg) JDA, CE (NNJ), RTO & chairman NGO Muskaan was formed. The committee shall meet every month and review implementation of TCB decision.	Board directed that meeting of Steering Committee wiill be coordinated by DCP (Traffic) Jaipur.	DCP (Traffic)

316

6	69.1	**Plying of Heavy Vehicle Traffic on B-2 By Pass.** **1**.Hon'ble High Court of Rajasthan has given judgment and order dated 28.11.2011 in case no. 5383/2011 Sh. Ashok Swami Vs State Government & others to ply heavy vehicle traffic on B-2 byepass from 28.01.2012. SFS Resident's Devt. Sty., Jaipur has approached to Supreme Court for permission to file SLP and with prayer for interim relief. **2**.Hon'ble Supreme court has given judgment (copy enclosed Annexure -A) & operative part is reproduced as below:- **a.** The traffic control board, constituted under section 13 of the Jaipur Development Authority Act, 1982 shall re-evaluate the traffic movement on the subject stretch in the light of the directions issued by the High Court in its order dated 28th November, 2011 as also the practical difficulties/objections highlighted by the petitioner-Society in this petition; **b.** The Traffic control board shall submit its report to the High Court within two weeks of the receipt of a copy of this order; **c.** The High Court may, thereafter, re-examine the entire issue relating to the traffic movement on the subject stretch in the light of the said report and/or any other	3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेशों की पालना में पिटीशन सोसाईटी को जयपुर ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड की दिनांक 12.03.2012 को बैठक मे आमन्त्रित किया गया। सोसायटी के द्वारा जो ज्ञापन बैठक में प्रस्तुत किया उसका प्रस्तुतीकरण सोसाईटी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। ज्ञापन की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। 4. उपायुक्त पुलिस(यातायात) द्वारा बी–2 बाईपास पर से चल रहे यातायात के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतीकरण किया गया जो कि परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। 5. बोर्ड की बैठक के दौरान बी–2 बाईपास के निर्माण व भारी वाहनों के संचालन के क्रम में निम्न वस्तुस्थिति अवगत करायी गयी:– 1. (अ) जयपुर शहर के 1977 के मास्टर प्लान मे टोंक रोड को अजमेर रोड तक जोडने वाली सडक बी–2 बाईपास से दर्शित है। इस सडक का टोंक रोड से शिप्रा पथ तक का निर्माण कार्य टोंक रोड पर राजस्थान कृषी अनुसन्धान केन्द्र की जमीन न मिलने के कारण वर्ष 2010 से पूर्व पूर्ण नही हो सका। (ब) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.1996 को गोपालपुरा बाईपास पर भारी वाहनों का सन्चाल बन्द कर सांगानेर टाऊन से निकालने के आदेश जारी किये। जिन्हे कि पुनः गोपालपुरा बाईपास का वैकल्पिक मार्ग का निर्माण पूर्ण होने तक गोपालपुरा बाईपास पर भारी वाहनों के संचालन के संशोधित आदेश दिनांक 13.10.1996 को पारित किये। (स) वैकल्पिक मार्गों के विकल्प हेतु बी–2 बाईपास के शेष भाग (टोंक रोड से शिप्रा पथ) के लिये राज्य सरकार के स्तर पर भरसक प्रयास के उपरान्त वर्ष 2006 मे राजस्थान कृषि अनुसंधान केन्द्र से सडक की भूमि प्राधिकरण को उपलब्ध करवाने के उपरान्त उक्त भाग में सडक का निर्माण व पुल का निर्माण करवाया गया।	JDA/ NNJ/DCP (Traffic)

	material that may be placed before it by the affected parties, and pass appropriate orders thereon. It goes without saying that the High Court may also grant an opportunity of hearing to the petitioner Society before passing final orders in the matter.	(द) बी–2 बाईपास के द्वारकादास पथ के न्यू सांगानेर क्रोसिंग से किसान धर्मकांटा तक टोंक की ओर अजमेर की ओर जाने वाले भारी वाहनों का संचालन माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 28.11.2011 को पारित आदेशों से भी पूर्व से हो रहा है। (य) टोंक रोड से द्वारकादास पथ के न्यू सांगानेर रोड पर क्रोसिंग तक केवल द्वारकादास पथ के दक्षिणी ओर ही रिहायशी बसावट है, उत्तरी ओर द्वारकादास पार्क, राजस्थान आवासन मण्डल के उपायुक्त कार्यालय व रिक्त भूमि है। द्वारकादास पथ की कुल लम्बाई लगभग 1 किमी. व चौडाई 200 फुट है। 2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2011 पारित आदेशों से पूर्व भारी वाहनों का संचालन निम्नानुसार था– i. टोंक से अजमेर आने व जाने वाले भारी वाहन सांगानेर टाऊन से गुजर कर न्यू सांगानेर रोड व किसान धर्मकांटा होकर अजमेर रोड पर मिलता है। ii. आगरा से अजमेर आने व जाने वाले बाहरी वाहन टोंक रोड पर ई.पी. क्रोसिंग से गोपालपुरा मोड गोपालपुरा बाईपास गुर्जर की थडी व किसान धर्मकांटा होते हुए अजमेर रोड पर मिलता था। जयपुर ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड की दिनांक 21.11.2011 को सम्पन्न हुई बैठक में इन्हीं सभी तथ्यों को मद्देनजर भारी वाहनों के संचालन का निर्णय बी--2 बाईपास के वर्ष 2010 में निर्मित भाग पर से करने हेतु लिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जिन कार्यों को कराने के निर्देश प्रदान किये थे उसकी वस्तुस्थिति निम्नानुसार है। i. टोंक रोड से शिप्रापथ तक आवश्यक सर्विस रोड का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। ii. रेलवे विभाग से रेलवे अण्डरपास में अतिरिक्त बॉक्स डालने के प्रस्ताव के प्रारम्भिक डिजाईन आकलन के तकमीने रू 6,38,634.00 के प्राप्त हो चुके है तथा राशि भेजने की स्वीकृति प्रकियाधीन है। iii. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सडक के भाग से चार दीवारी हटा दी गई है।	JDA/ NNJ/DCP (Traffic)

iv. द्वारकादास पार्क की चार दीवारी सड़क सीमा से हटाई जा चुकी है।

v. राज्य सरकार द्वारा जयपुर नगर निगम को द्वारकादास मार्ग पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित कार्यों के लिए रू. 4.38 करोड की स्वीकृति दिनांक 28.02.2012 को जारी की जा चुकी है।

vi. द्वारकादास पथ से सडक निर्माण में आ रहे वृक्षों को काटने की स्वीकृति जिलाधीश जयपुर द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

vii. जयपुर नगर निगम के द्वारा द्वारकादास मार्ग पर मीडियन व शिप्रा पथ पर स्लिप रोड का निर्माण कार्य व अस्थाई स्ट्रीट लाईट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

viii. बी–2 बाईपास पर भारी वाहनों का आवागमन करने से पूर्व व आवगमन प्रारम्भ होने पर आवश्यकता अनुसार सडको का विकास, स्पीड ब्रेकर, मिडीयन ओपनिंग को बन्द करना व ट्रेफिक लाईट लगाने का कार्य करवाया गया।

ix. जयपुर नगर निगम ने सरकार से प्राप्त स्वीकृति के उपरान्त द्वारकादास पथ कि निविदायें आमन्त्रित की जा चुकी है तथा यह निविदायें 17.04.2012 को प्राप्त की जानी है।

पिटीशनर सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विस्तार से बिन्दुवार चर्चा की गयी एवं तदनुरूप निष्कर्षात्मक रूप में बिन्दुवार वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	ज्ञापन के बिन्दु	वस्तुस्थिति	
1	बी–2 बायपास से स्थित शिप्रा पथ द्वारकादास मार्ग से होते हुये न्यू सांगानेर रोड किसान धर्म कांटे तक घनी आबादी व रिहायशी क्षेत्र है जिसमें मानसरोवर स्वयं की 2.5 लाख व पृथ्वीराज नगर, सुमेन नगर, पत्रकार कॉलोनी जैसी लगभग 2 दर्जन विभिन्न कॉलोनियां स्थित है जिनकी अनुमानित	इस क्षेत्र मे आबादी घनत्व पूर्व मे संचालित भारी यातायात के मार्ग जो गोपालपुरा बाईपास व सांगानेर कस्बे मे से था काफी कम है। स्थानीय निवासियो कि सुरक्षा कि दृष्टि से आवश्यकता	JDA/ NNJ

3/1

			आबादी 5 लाख से अधिक है जो कि पूर्णतया भारी वाहनों के संचालन से प्रभावित हो रही है। उक्त भारी वाहनों के संचालन से स्थानीय निवासी जिनमें प्रमुख रूप से वृद्धजन, छात्र-छात्राएं महिलाएँ, बच्चे भी व परिजनों की जीवन सुरक्षा को लेकर भयाकर चिन्तित है।	अनुसार ब्रीड ब्रेकर का निर्माण व मीडियन में ओपनिंग बंद करने का कार्य एवं आवश्यक सूचनात्मक एवं आवश्यक बोर्ड लगा दिये गये है।	
		2	बी-2 बायपास से किसान धर्म कांटे तक तथा द्वारकादास मार्ग व न्यू सांगानेर रोड का क्षेत्र लगभग 9 कि.मी. का क्षेत्र है जो कि सड़क के दोनों तरफ गहन रिहायशी व घनी आबादी क्षेत्र के मध्य से गुजरता है। न्यू सांगानेर रोड पर बी.आर.टी.एस. का कार्य अधूरा है जिससे ही स्थानीय निवासियों को अत्यधिक परेशानी का सामना पूर्व में ही करना पड़ रहा है ऐसे भारी वाहनों का संचालन तो स्थानीयों निवासियों पर वज्रपात के समान है।	जो लम्बाई वर्णित है वह अधिक दर्शायी गयी है टोंक रोड से पिंजरापोल तक अपेक्षाकृत कम घनत्व की आबादी है। पिंजरापोल से न्यू सांगानेर रोड तक (द्वारकादास पथ पर) 1 किमी दक्षिणी ओर आवासीय क्षेत्र है व उत्तरी ओर द्वारकादास पथ व पार्क, रिक्त भूमि व आवासन मण्डल का कार्यालय है। न्यू सांगानेर क्रोसिंग से किसान धर्मकांटा तक लगभग 4.8 किमी पूर्वी ओर मानसरोवर योजना व पश्चिमी ओर पृथ्वीराज नगर योजना है यह सही है कि उक्त भाग में बी.आर.टी.एस. का कार्य प्रगति पर है परन्तु भारी वाहनों का सुगमता से संचालन हो रहा है।	JDA
		3	बी-2 बायपास स्थित द्वारकादास मार्ग पर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्यान जो कि लगभग 2.5 हैक्ट. भूमि पर	अनुमान के सम्बन्ध में कोई Objective आंकड़े उपलब्ध नहीं है।	

				विकसित द्वारकादास उद्यान व स्टोन पार्क स्थित है जिसमें प्रतिदिन लगभग 5–10,000 स्थानीय नागरिक सुबह–शाम स्वास्थ्य दृष्टि से आते हैं जिनमें अधिकतम संख्या महिला –पुरूष, वृद्धजन व बच्चों की है जिसके स्वास्थ्य पर भारी वाहनों के संचालन से प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है अपितु समुचे क्षेत्र में भारी प्रदूषण व्याप्त हो गया है।		
			4	बी–2 बायपास–द्वारकादास मार्ग स्थित हंस विहार मन्दिर व राज. आवासन मण्डल द्वारा निर्मित डे–केयर सेन्टर है जिसमें समूचे मानसरोवर व नजदीकी कॉलोनियों के स्थानीय निवासी भारी तादाद में नित्य प्रतिदिन उपयोग करते हैं, जिनमें अधिकतम संख्या वृद्ध महिला व पुरूषों की है, जिनका अब उक्त सुविधाओं के उपयोग मार्ग से भारी वाहनों के संचालन के परिणामस्वरूप जीवन–जोखिम भरा हो गया है।	स्थानीय निवासियों की सुरक्षा कि दृष्टि से नगर निगम को द्वारकादास पथ के दक्षिणी ओर प्राथमिकता के आधार पर सर्विस रोड अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश कर दिये गये।	NNJ
			5	बी–2 बायपास / द्वारकादास मार्ग से किसान धर्म कांटे तक विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक / शैक्षणिक संस्थान / चिकित्सालय व विभिन्न स्थानों पर लगने वाली साप्ताहित सब्जी मण्डी जैसे स्थान सम्मिलित हैं, जिनका उपयोग प्रत्येक स्थानीय निवासियों द्वारा किया जाता रहा है, जो कि अब उक्त मार्ग से भारी वाहनों के संचालन पश्चात् अत्यधिक जोखिम भरा हो गया है तथा सदैव ही भयंकर दुर्घअना की संभावना बनी रहती है।	बी–2 बाईपास एक प्रमुख सड़क है। जिसका निर्माण प्रारम्भिक रूप से भारी वाहनों के संचालन हेतु किया गया था। अतः सुरक्षात्मक दृष्टि से बिन्दु संख्या एक में वर्णित कार्य किये जा चुके है।	

321

		6	बी–2 बायपास से किसान धर्म कांटे तक जिसमें द्वारकदास मार्ग व न्यू सांगानेर रोड स्थित विभिन्न कॉलोनियों में प्रवेश व निकास मार्गो को भारी वाहनों के संचालन के परिणामस्वरूप अवरोध लगाकर अवरुद्ध कर दिया गया है जिससे स्थानीय निवासियों को भयंकर परेशानी का सामना करना पड रहा है, साथ ही कॉलोनियों में प्रवेश व निकास अत्यधिक जोखित भरा हो गया हैं।	प्रमुख सडको पर प्रचलित मापदण्डो व सुरक्षात्मक दृष्टि से प्रत्येक प्रवेश व निकास मार्ग पर मीडियन मे ओपनिंग दिया जाना सम्भव नहीं है। परन्तु मौके पर निवासियों से चर्चा कर उपायुक्त पुलिस (यातायात) व निदेशक (अभियांत्रिकी– I) जविप्रा उचित निर्णय लेगे।	JDA/NNJ/ DCP (Traffic)
		7	बी–2 बायपास स्थित द्वारकादास मार्ग से एस.एफ.एस. व अग्रवाल फार्म के क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया गया है, चूंकि एस.एफ.एस. व अग्रवाल फार्म का क्षेत्र भारी वाहनों संचालन से पूर्व एक ही क्षेत्र था परन्तु अब इसे 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है उक्त क्षेत्र कभी किसी ना किसी प्रकार से अपने व्यापारिक अथवा सामाजिक कार्य के लिए एक–दूसरे क्षेत्र में आते जाते रहते हैं, ऐसे में उनका वर्तमान परिस्थितियों में अपने नियमित कार्यो को पूर्ण करना अत्यधिक जोखिम भरा हो गया है।	पदयात्रियों की सुरक्षा के लिये मध्यम मार्ग क्रोसिंग पर उच्च पद मार्ग पुल के निर्माण का निर्णय ले लिया गया है इसके साथ ही इस सडक के भाग में भारी वाहनों की गति सीमा 30 किमी. प्रति घन्टा व हल्के वाहनों कि गति सीमा 40 किमी. प्रति घन्टा रखने का निर्णय लिया गया।	NNJ
		क्र. सं.	आपत्तियॉं	वस्तुस्थिति	
		1	मानसरोवर आवासीय कॉलोनी राज. आवासन मण्डल द्वारा विकसित की गयी समूचे प्रदेश ही नहीं अपितु देश की सबसे बडी आवासीय कॉलोनी है जिसमें कि अपने क्षेत्र में लगभग 100 से अधिक सेक्टरों के रूप में विद्यमान	बी–2 बाईपास का निर्माण ही भारी वाहनों के संचालन हेतु कराया गया था। मालवीय नगर मे भी बी–1 बाईपास पर आज भी भारी वाहनों का	

3u

				है। चूंकि राज. आवासन मण्डल की प्रतिष्ठा के दृष्टिगत आवेदकों ने मानसरोवर योजना में आवास हेतु सुखद भविष्य की दृष्टि से बसने का चयन किया गया था। ऐसे में बी-टू बायपास से भारी वाहनों के संचालन से स्थानीय निवासियों के विश्वास के साथ कुठाराघात है।	संचालन हो रहा है।	
			2	बी-टू बायपास का निर्माण का उद्देश्य हल्के वाहनों का दबाव कम करने व टोंक रोड का वैकल्पिक मार्ग के रूप में था न कि भारी वाहनों के संचालन हेतु।	बिन्दु संख्या 1 में स्थिति स्पष्ट है।	
			3	बी-टू बायपास से किसान धर्म कांटे तक वाया द्वारकादास मार्ग से भारी वाहनों के संचालन स्वरूप एक कॉलोनी को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है जो कि सरासर अनुचित है।	स्थानीय निवासियों कि सुरक्षा हेतु मीडियन में ओपनिंग नहीं दी गयी तथा आन्तरिक सड़कों के यातायात को सड़क के मुख्य मार्ग पर एक निर्धारित स्थान पर ही ला दिया गया है। निवासियों कि मांग के अनुसार द्वारकादास मार्ग पर सड़क नं 5 को मुख्य सड़क पर जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त मौका निरीक्षण कर उपायुक्त पुलिस (यातायात) व निदेशक (अभियांत्रिकी-I) अविलम्ब उचित निर्णय लेंगे।	JDA/ DCP (Traffic)
			4	बी-टू बायपास स्थित द्वारकादास मार्ग स्थित एस.एफ.एस. कॉलोनी जिसमें लगभग 2000 आवासन मण्डल द्वारा निर्मित आवास व लगभग 22,000 जन आबादी क्षेत्र के विभिन्न प्रवेश व	बिन्दु संख्या 3 में स्थिति स्पष्ट है।	

				निकास द्वारों को भारी वाहनों के संचालन के मध्यनजर बन्द कर दिया गया है तथा समूचे क्षेत्र के लिये एक ही प्रवेश व निकास द्वार रखा गया है। जो कि सरासर अनुचित है।		
			5	यदि 1976 के मास्टर प्लान में बी–टू बायपास अथवा भारी वाहनों संचालन हेतु किसी प्रकार का प्रयोजन था भी तो राज्य सरकार द्वारा 1976 के पश्चात राज. आवासन मण्डल की मानसरोवर योजना प्रस्तावित की गयी तो ऐसी स्थिति में 1976 की योजना स्वतः निरस्त हो जाती है। यदि नहीं तो राज्य सरकार अथवा आवासन मण्डल द्वारा अपने आवंटियों के समक्ष इस तथ्य को क्यों नहीं प्रकट किया गया? अथवा उनसें छिपाया गया?	मानसरोवर योजना के मानचित्र मे सन्दर्भित सडक की चौडाई 60 मी है। इसका सम्बन्ध वर्तमान प्रकरण से सीधे रूप से नही है।	
			6	बी–टू बायपास से भारी वाहनों के संचालन के संदर्भ में ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा सघन आबादी व विभिन्न शैक्षणिक / व्यावसायिक व सामाजिक क्षेत्रों को नजरअंदाज करते हुये ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा बी–टू बायपास से भारी वाहनों के संचालन के निर्णय को उपयुक्त बताया जिसके अदूरदर्शी निर्णय के परिणामस्वरूप में दुर्घटनाओं में हुयी अकाल मृत्यु साक्षात प्रमाण है।	ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा गुणावदोष के आधार पर ही भारी वाहनों का बी–2 बाईपास पर संचालन का निर्णय लिया गया।	
			7	ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में गोपालपुरा बायपास की तुलना में बी–टू बायपास से भारी वाहनों के संचालन को उपयुक्त बताया गया है। वर्तमान में गोपालपुरा बायपास ओ.टी. एस.चौराहे से गुर्जर की थडी तक छः लेन, सर्विस लेन, स्लीप लेन, ग्रीन बेल्ट व शीघ्र ही उपयोग में आने वाला अण्डरपास स्थित है जो कि बायपास हेतु	बिन्दु संख्या 6 में स्थिति स्पष्ट है।	

		निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करता है जबकि बी–टू बायपास से किसान धर्म कांटे तक वाया द्वारकादास मार्ग पर उक्त सभी वांछित व निर्धारित मापदण्डों का अभाव है। विदित रहे कि ओ.टी.एस. चौराहे से गुर्जरी की थडी तक का सम्पूर्ण विकास भारी वाहनों के संचालन को ध्यान में रखते हुये लगभग 350 करोड रू. का व्यय किया गया था। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुये व तुलना करते हुये ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा बी–टू बायपास से भारी वाहनों का संचालन उपयुक्त बताना अत्यन्त अदूरदर्शी व दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय प्रतीत होता है।	
		ज्ञापन के बिन्दुओं मे बी–2 बाईपास के अन्य वैकल्पिक मार्गो व स्पीड ब्रेकर को हटाने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है परन्तु ज्ञापन के साथ कुछ वैकल्पिक मार्गो के प्रस्ताव संलग्न किये हुये है तथा ज्ञापन के प्रस्तुतीकरण के समय रम्बल स्ट्रिप की संख्या कम करने का निवेदन किया गया जिस पर यह निर्णय लिया गया कि मुख्य सडक पर जुडने वाली आन्तरिक सडको पर स्ट्रिप की संख्या आवश्यकता अनुसार 5 से 10 तक सीमित कर दी जाये एवं जिन सम्पर्क सडको का मुख्य सडक से नहीं जोडा जाना है उनसे रम्बल स्ट्रिप हटा दी जाये। इन पर निर्णय के लिये ट्रेफिक पुलिस व जेडीए इस सोसायटी के पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर आवश्यक निर्णय किये जायेगें। वैकल्पिक मार्गो का निरीक्षण पिटीशनर सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ कर उनकी फिसीबिल्टी जॉच एक माह में कर ली जायें। इसी क्रम में गोपालपुरा बाईपास पर भारी वाहनों का प्रवेश/आवागमन नहीं करने के विषय में विभिन्न ज्ञापन प्राप्त हुये थे उन पर भी तुलनात्मक विचार किया गया।	JDA/DCP (Traffic)

325

			लगाई जावे ताकि मुख्य सडक और सर्विस लेन दोनो ही पर समुचित प्रकाश की व्यवस्था रहें। ▪ द्वारकादास पार्क चौराहा, एस.एफ.एस चौराहा और प्रधान वाटिका न्यू सांगानेर रोड तिराहा तीनों पर हाईमास्ट लाईट्स की भी व्यवस्था की जावें। ▪ इस सडक पर रिफ्लेक्टिव रोड साईनेज बोर्ड लगाये जावे जिन पर समय समय पर पेन्ट होता रहे। ▪ प्रत्येक तिराहे / चौराहे पर जेब्रा क्रॉसिंग, स्टोप लाईन्स और पैदल के लिए ट्रैफिक लाईट्स की व्यवस्था भी की जावे जिससे पैदल व्यक्तियों को सुगमता पूर्वक सुरक्षित सडक पार कराई जा सके।	
			प्रधान वाटिका न्यू सांगानेर रोड से किसान धर्म कांटा गोपालपुरा बाईपास तक सडक का निर्माण कार्यः– 1. **बामन की थडी चौराहा**– यह चौरहा मुहाना सब्जी मण्डी जाने वाले वाहनों को मुख्य रास्ता है यहां पर स्लिप लेन बनाये जाने की आवश्यकता है तथा टेलिफोन व बिजली के पोल एवं ट्रांन्सफोर्मर को शिफ्ट किये जाने की आवश्यकता है वर्तमान में ये यातायात बडे के अवरोधक बने हुये है। इस चौराहे पर अतिक्रमण भी बहुत है जिसे हटाये जाने की आवश्यकता है। 2. **वी.टी. रोड चौराहा न्यू सांगानेर रोड**– यहां पर वीर तेजाजी महाराज का मन्दिर सडके के मध्य स्थित है इस मन्दिर को अन्यत्र स्थान पर स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। जब तक मन्दिर शिफ्ट नहीं होता है तब तक इस पर रोटरी के रूप में यातायात चलाये जाने की व्यवस्था की जावें। 3. **न्यू सांगानेर रोड पर** अन्य चौराहे तिराहों पर डिवाईडर लगाकर कट बन्द कर दिये गये है वहां सीमेन्ट की स्लेब लगाकर स्थाई रूप से बन्द किये जावें। यहां पर रात्री में लोग डिवाईडरो को हटा देते है जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है।	JDA/DCP(Traffic)

			इसी के अतिरिक्त तुरन्त यातायात उपायुक्त पुलिस (यातायात) द्वारा अब जिन निम्न कार्यों को करवाया जाना उल्लेखित किया है उन्हें अतिशीघ्र पूर्ण करा दिया जावे। इसी के अनुसरण में डी-2 बाईपास पर करवाये जाने वाले अतिरिक्त कार्यों के सुझाव प्राप्त हुए। • द्वारकादास पार्क चौराहे से प्रधान वाटिका न्यू सांगानेर रोड तक दोनों तरफ सर्विस लेन का निर्माण। • तीन मुख्य ओपनिंग– द्वारकादास चौराहा, एस.एफ.एस. चौराहा, प्रधान वाटिका तिराहा को छोड़कर अन्य सभी कटों को बन्द किया जावे। • मुख्य सड़क और सर्विस लेन के बीच रोड की रेलिंग लगाई जावे। • द्वारकादास चौराहा, एस.एफ.एस. चौराहा, प्रधान वाटिका न्यू सांगानेर रोड पर स्लिप लेन का निर्माण। • एस.एफ.एस. चौराहे से प्रधान वाटिका न्यू सांगानेर रोड तक रोड मिडियन बनाया जावे। • एस.एफ.एस. चौराहे पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण। • पुराना बाईपास टोंक रोड से प्रधान वाटिका न्यू सांगानेर रोड तक तीन-तीन की सड़क स्थान की उपलब्धता के अनुसार बनाई जावे। • डी-2 बाईपास सर्विस लेन में एस.एफ.एस. की तरफ हो रहे छोटे- मोटे अतिक्रमणों को तुरन्त हटाया जावे। • डी-2 बाईपास पर स्थित एस.एफ.एस. की सर्विस लेन पर सप्ताह में दो दिन लगने वाली सब्जी मण्डी का अन्यत्र स्थानान्तरण अथवा नियोजित तरीके से लगवाना निर्धारित किया जावे। • प्रधान वाटिका न्यू सांगानेर रोड से द्वारकादास पार्क चौराहे के बीच सड़क के मध्य बिजली के खम्भों को हटाना। • रेलवे अन्डर ब्रिज पर सर्विस लेन के लिए दोनों तरफ अन्डर पास बनवाया जावे और तत्पश्चात पुराना बाईपास टोंक रोड से प्रधान वाटिका तिराहा न्यू सांगानेर रोड तक डी-2 बाईपास पर दोनों तरफ सड़क के सर्विस लेन पूरी की जावे। • डी-2 बाईपास पर सड़क के दोनों तरफ स्ट्रीट लाईटें	JDA/NNJ/DCP (Traffic)

			इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. क्र. CC 786/2012 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2012 की पालना में विद्याश्रम सोसायटी को व्यक्तिशः सुनवाई का मौका देकर, उन्हें सुनकर तथा उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन व सुझावों को विस्तार से समीक्षा करने के उपरान्त उपरोक्त सभी बिन्दुओं को मद्देनजर रखते हुये ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा यह पाया गया है कि गोपालपुरा बाईपास व सांगानेर क्षेत्र में आबादी का घनत्व ज्यादा है तथा वहीं Heavy Traffic संचालित करने में Comparative hardship ज्यादा है। इस संदर्भ में DCP (Traffic) द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के तथ्यों को भी देखा गया, अतः यह निर्णय लिया गया कि भारी वाहनों के संचालन हेतु [illegible] बाईपास उपरोक्त विकल्पों में बेहतर है।	
7	69.2	Other issues DCP (Traffic) suggested improvement of various junctions on Tonk road in view of increasing traffic load on JLN Marg	Board directed JDA to issue A&F sanction of Rs 15.00 Lacs for improvement works on Tonk Road For other issues it was decided that matter be first placed before steering committee	JDA DCP (Traffic)

The meeting ended with vote of thanks to the chair

Secretary
Jaipur Development Authority,
Jaipur

329

Copy forwarded to the following for information and necessary action

1. Hon'ble Mayor, Jaipur Nagar Nigam, Jaipur
2. Collector, Jaipur.
3. DIG, JDA, Jaipur.
4. Commissioner Rajasthan Housing Board, Jaipur.
5. Transport Commissioner, Rajasthan Jaipur
6. Managing Director, RSRTC, Jaipur.
7. Managing Director, JMRCL, Jaipur.
8. Chief Executive officer, JNN, Jaipur.
9. DCP (Traffic) Jaipur
10. Chief Engineer, PWD, Jaipur.
11. Chief Engineer, PHED, Jaipur.
12. Chief Engineer, JVVNL, Jaipur.
13. Director (TP) JDA, Jaipur.
14. Director (Engineer-I/II), JDA, Jaipur
15. Director (Fin.) JDA, Jaipur.
16. Regional Transport officer, Jaipur.
17. Chairman NGO Muskan, Jaipur.
18. Joint Commissioner (System Management), JDA, Jaipur.
19. Supdt Engg. I/II/III/IV/ V/Elect/Pr-I/Pr-II/RRP/PDC-I/PDC-II JDA, Jaipur
20. AC (Land) JDA, Jaipur
21. Ex.En-I/ all, JDA, Jaipur
22. OSD (PRO) JDA, Jaipur
23. Sr PS to JDC, JDA.Jaipur
24. PS to Secy. JDA.Jaipur

Secretary
Jaipur Development Authority.
Jaipur

No F(1) /JDA/MS/TCB/2012/D- 227
Dated:- 23/3/12

3/f

Following officers attended the 69th TCB meeting held on 12.03.12

Annexure 'A'

1. Smt. Jyoti Khandwal, Mayor, NNJ, Jaipur
2. Sh. Rajan Vishal, Secretary, JDA, Jaipur.
3. Sh. Rohit Mahajan, DCP, (Traffic), Jaipur
4. Sh. Loknath Soni, CEO, NNJ, Jaipur.
5. Sh. D.C. Janwara, Dir.(Finance), JDA, Jaipur.
6. Sh. N.K. Khare, Dir (TP) JDA, Jaipur.
7. Sh. N.C. Mathur, Dir. (Engg.)- I, JDA, Jaipur
8. Sh. Lalit Sharma, Dir. (Engg.)- II, JDA, Jaipur
9. Sh. B.L. Jatawat, Transport, RTO Jaipur.
10. Sh. D.K. Mathur, Dy. Housing Comm. RHB, Jaipur.
11. Sh. Ramavatar Meena, ADM (East) Jaipur.
12. Sh. Raj Kumar Sharma, SE Project-1, JDA, Jaipur.
13. Sh. Maqsood Ahmad, SE-IV, JDA,Jaipur.
14. Sh. Pramod Bhasin, Muskan NGO, Jaipur.
15. Sh. Haider Ali Zaidi, CCE, JDA, Jaipur.
16. Sh. Sudhir Garg, XEN., PWD, Jaipur.
17. Sh. Manoj Soni, EE-1A, JDA, Jaipur.
18. Sh. Purshottam Jeshwani, EE-II, Jaipur Nagar Nigam Jaipur.
19. Sh. Ghanshyam Gupta, Zonal Manager, Rajasthan Roadways, Japipur.
20. Sh. Vijay Gupta, OSD, JMRC, Jaipur.
21. Sh. Yogendra Joshi, DCE, JDA, Jaipur.
22. .Sh. P.C. Khandelwal, EE (Tech.) JMRC, Jaipur.
23. Smt. Usha Jain (PRO) JDA, Jaipur.
24. Sh. Hari Singh Nathawat, SFS Residential Dev. Society, Jaipur.
25. Sh. K.L. Chhahani, Secretary, Dev. Society, Jaipur.
26. Sh. Manjul Kaushik, President, Lok Manch, Jaipur.
27. Sh. Ashima Kaushik, General Secretary, Lok Manch, Jaipur
28. Sh. Abhay Purohit, SFS Development Dev Society, Jaipur.
29. President S.F.S. Residents Development Society, S.F.S Agarwal Farm Mansarover, Jaipur.